HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 13034/2026
CNR: RJHC020803772026 | URN: CRLMB / 24105U / 2026

1. Naushad @ Kala S/o Kasam Khan, Aged About 22 Years, R/o Sallu Ka Bas, Tan Shekhpur, Police Station Sadar Alwar, District Alwar (Rajasthan) (At Present Confined In Central Jail Alwar).
2. Waseem S/o Kharshed @ Kursed Khan, Aged About 22 Years, R/o Sallu Ka Bas, Tan Shekhpur, Police Station Sadar Alwar, District Alwar (Rajasthan) (At Present Confined In Central Jail Alwar).

----Petitioners

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Ms. Faziya G. Khan
For Respondent(s)	:	Mr. S.R.Dhakad, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

15/09/2026

प्रार्थी/अभियुक्तगण की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत पुलिस थाना **सदर अलवर जिला अलवर** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **341/2026** अपराध अंतर्गत धारा 112(2), 238(बी), 316(2), 318(4), 319(2), 336(3), 340(2), 61(2) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 66–सी व डी आईटी एक्ट में जमानत का लाभ दिए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी को कार्यालय आपत्ति दूर करने सम्बन्धी प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र संख्या 01/2026 पर सुना गया।

इस प्रक्रम पर प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत आरोप–पत्र की प्रति को अभिलेख पर लिया जाता है।

बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्तगण का तर्क है कि प्रार्थीगण को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उनका तर्क है कि प्रार्थीगण के विरूद्ध साइबर ठगी का आक्षेप है तथा केवल एक शिकायत 550/–रूपये की थी, वही अनुसंधान से पता चला है। उनका तर्क है कि अभियुक्त वसीम के विरूद्ध पूर्व का एक आपराधिक प्रकरण है तथा अभियुक्त नौशाद के विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उनका तर्क है कि प्रार्थीगण दिनांक 20.07.2026 से अभिरक्षा में चल रहे हैं। आरोप–पत्र प्रस्तुत हो चुका है। अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः प्रार्थीगण को जमानत का लाभ दिया जावे।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है कि सोचे समझे ढंग से लैपटॉप विक्रय करने का प्रलोभन देकर बुकिंग राशि एवं डिलीवरी की राशि मांगकर साइबर ठगी की है। गम्भीर अपराध है, अतः जमानत का लाभ नहीं दिया जावे।

दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण पर लोगों को सस्ते दामों पर लैपटॉप बेचने के फर्जी प्रलोभन भरे विज्ञापन डालकर उनसे पंजीयन एवं डिलीवरी के नाम पर पैसे ठगने का आरोप है। साइबर पोर्टल 1930 पर उनके सम्बन्ध में केवल एक शिकायत 550/–रूपये की पाई गई है। अभियुक्त नौशाद के विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण दिनांक 20.07.2026 से अभिरक्षा में चल रहे हैं। आरोप–पत्र प्रस्तुत हो चुका है। अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्कों को ध्यान में रखते हुए मामले के गुणावगुण पर कोई राय व्यक्त किए बिना प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना पत्र **सशर्त** स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्तगण **1. नौशाद उर्फ काला पुत्र कासम खान एवं 2. वसीम पुत्र खर्शेद उर्फ कुरसेश खान** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र इस शर्त पर स्वीकार किया जाता है कि **प्रार्थीगण भविष्य में अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे** और यह आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक प्रार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु **एक लाख रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व**

पचास–पचास हजार रूपये की दो सुदृढ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो उसे अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा भविष्य में अपराध की पुनरावृत्ति करने पर विद्वान लोक अभियोजक उनकी जमानत निरस्तीकरण के लिए प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने को स्वतंत्र रहेंगे।

(SHUBHA MEHTA),J

56/AJAY KUMAR SINGHAL